

## प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निष्पादन एवं लेन-देन संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो कि 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा वे भी हैं जो कि पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये, किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।